तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
26/3/25	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस अन्तिम सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि विवादित भूमियॉ खसरा संख्या 433, 440 हमारी सहखातेदारी की है व भूमि खसरा संख्या 446/1360 हमारी खातेदारी में अंकित है। जिसमें अप्रार्थीगण बिना विधिवत बंटवारा करवाए ही विशिष्ठ भू–भाग को बेचान करना चाहते है। बिना बंटवारे के अप्रार्थीगण किसी अजनबी क्रेता को बेचान करने पर आमादा है यदि इस प्रकार बेचान कर देने से अजनबी क्रेता द्वारा हमारे हिस्से की भूमियों पर दखल दिए जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। विवादित भूमियों के हम सहखातेदार होने व हमारे कब्जे काश्त में होने से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में है एवं सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में है। बिना बंटवारे के ही अप्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमियों में से किसी विशिष्ठ भू–भाग का बेचान करने से प्रार्थी को अपूर्णीय स्थिति की सभावना बनी हुई है। अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद तक स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। बाद मनन बहस विवादित भूमियों में प्रार्थी सहखातेदार होने व बिना बंटवारे के अप्रार्थीगण द्वारा बेचान से अपूर्णीय क्षति होने की संभावना होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक :–22.07.2021 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी की गई, अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद कन्फर्म (**Confirm**) की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली